

2.18
प्रपत्र-24

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत काण्डा-मन्तौली का विस्तार तल्ला तिपोला तक 4.00 किमी० लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो० नि० वि०
बागेश्वर
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो० नि० वि०
अधिशाली अभियंता
बागेश्वर
प्रान्तीय खंड लो० नि० वि०
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
धर्मपुर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
धर्मपुर
वन क्षेत्र अधिकारी
धर्मपुर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया जायेगा।